मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 किसान भवन अरेरा हिल्स भोपाल

ई–मेल

क्रमांक / बी–6 / नियमन / ई–अनुज्ञा / 2018–19 / 1069 भोपाल दिनांकः 01 जनवरी 2019

प्रति,

1. संयुक्त संचालक / उप संचालक,
   मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
   आंचलिक कार्यालय,
   भोपाल / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / सागर / जबलपुर / रीवा (म0प्र0)

2. सचिव,
   कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त),
   .... जिला ....(म0प्र0)

विषयः–प्रदेश की मण्डी समितियों में मेनुअल अनुज्ञापत्र जारी किये जाने संबंधी।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र क्रमांक / बोर्ड / नियमन / ई–अनुज्ञा / 1065 भोपाल दिनांक 31.12.2018

–0–

प्रदेश की मण्डी समिति में दिनांक 01 जनवरी 2019 से लागू कि जाने वाली आनलाईन ई–अनुज्ञापत्र प्रणाली के शासन द्वारा वैधानिक व विधिक परीक्षण उपरांत अनुमति प्राप्त होने पर ही प्रणाली लागू किये जाने कि कार्यवाही की जावेगी । मण्डी समितियों में प्रचलित अनुज्ञापत्र प्रणाली के संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें ।

मण्डी अधिनियम की धारा 37(2) अन्तर्गत व्यापारी द्वारा घोष विक्रय / सौदा पत्रक के माध्यम से क्रय की जाने वाली कृषि उपज के विक्रेता को भुगतान के प्रमाण स्वरूप व्यापारी द्वारा प्रस्ततु किये जाने वाले भुगतान पत्रक कार्यालय में मेनुअली ही निर्धारित समय–सीमा में जमा करना अनिवार्य होगा । मण्डी प्रांगण / मण्डी प्रांगण के बाहर से जारी होने वाले अनुज्ञापत्र जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि विक्रेता को उसकी उपज का भुगतान प्राप्त हो गया है, साथ ही मण्डी फीस / निराश्रित सहायता राशि का भुगतान मण्डी को प्राप्त हो गया है । साथ ही कृषकों के भुगतान जोखिम को कम करने हेतु क्रय क्षमता अनुरूप प्रतिभूति का भी ध्यान रखे । अधिसूचित कृषि उपज पर मण्डी फीस तथा निराश्रित सहायता राशि पूर्व की ही भांति मेनुअल ही मण्डी फीस रसीद बुक के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी ।

व्यापारी द्वारा अनुज्ञापत्र हेतु घोषणा पत्र (प्ररूप–10) प्रस्तुत किये जाने पर मण्डी सचिव के प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्ररूप–9 में मेनुअल अनुज्ञापत्र जारी किया जावेगा। इसके लिये यह आवश्यक होगा कि प्रथमतः मेनुअली जारी किये जाने वाले अनुज्ञापत्रों की प्रविष्टी पूर्वानुसार ई–अनुज्ञा प्रणाली में दर्ज करना होगी तत्पश्चात सिस्टम जनित अनुज्ञापत्र का क्रमांक मेनुअली जारी किये गये अनुज्ञा पत्र के उपरर्ध भाग पर दर्ज यथा अंकित करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार थर्ड पाटी अनुज्ञापत्र भी मेनुअल जारी किये जाकर प्रविष्टि ई–पोर्टल पर की जा सकेगी ।

वाणिज्यक संव्यवहार अन्तर्गत जारी मैनुअल अनुज्ञापत्र का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें । जिसके उपरांत ही अनुज्ञापत्र में दर्ज उपज की मात्रा का लाभ व्यापारी को अन्य अनुज्ञापत्र जारी करने में दिया जा सकेगा । आनलाईन जारी अनुज्ञापत्र के सत्यापन को आधार मानकर उसका लाभ किसी स्थिति में अन्य मैनुअल जारी किये जाने वाले अनुज्ञापत्र में न दिया जाये ।

1/1/19

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल